प्रेस विज्ञप्ति

भारत – बंगलादेश भूमि सीमा करार, 1974 और भूमि सीमा करार के लिए 2011 के प्रोटोकाल के कार्यान्वयन के लिए तौर तरीकों पर पत्रों के आदान प्रदान का पाठ

विदेश सचिव

विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली-11
फोन नंबर : 23012318
फैक्स नंर : 23012781
ईमेल : dirfs@mea.gov.in

सं. 9596/एफएस/2015 6 जून, 2015

महामहिम,

भारत और बंगलादेश के बीच भूमि सीमा के सीमांकन तथा संबंधित मामलों के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और बंगलादेश जनवादी गणराज्य सरकार के बीच करार, 1974 और उक्त करार के 2011 के प्रोटोकाल को लागू करने के लिए 6 जून 2015 को हमारी दोनों सरकारों के बीच पुष्टि के लिए लिखतों के आदान प्रदान के अनुसरण में मुझे उक्त प्रोटोकाल एवं करार को लागू करने के लिए निम्नलिखित परवर्ती कदमों का प्रस्ताव करने का सम्मान प्राप्त हुआ है:

(I) एन्क्लेव

I. भारत और बंगलादेश इस बात पर सहमत हैं कि बंगलादेश में भारतीय एन्क्लेव तथा भारत में बंगलादेशी एन्क्लेव, जिनका 1974 के करार और 2011 के प्रोटोकाल के अनुसरण में आदान प्रदान हुआ है, 31 जुलाई 2015 की आधी रात से एक दूसरे को हस्तांतरित समझे जाएंगे। इसे "निर्धारित तिथि" के रूप में कहा जाएगा।

II. निर्धारित तिथि से पूर्व दोनों सरकारों के प्रतिनिधि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए एन्क्लेवों का संयुक्त रूप से दौरा करेंगे :(क) 1974 के करार और 2011 के प्रोटोकाल में निहित प्रावधानों के बारे में एन्क्लेव के निवासियों को सूचित करना जिसमें राष्ट्रीयता एवं नागरिकता से संबंधित उनके अधिकार शामिल हैं;

(ख) ऐसे निवासियों की पहचान करना जो उस राष्ट्रीयता को बनाए रखना चाहते हैं जिसे उन्होंने टेरिटरी के वास्तविक हस्तांतरण से पूर्व धारण किया है। यह अधिकार केवल उन्हीं निवासियों को उपलब्ध है जो एन्क्लेव की आबादी की संयुक्त रूप से गणना में शामिल हैं जिसे जुलाई 2011 में दोनों सरकारों द्वारा अंतिम रूप दिया गया था और विनिमय किया गया था तथा उन बच्चों को उपलब्ध है जिनका जन्म जुलाई 2011 से आज तक ऐसे निवासियों के यहां पैदा हुए हैं;

(ग) अपनी मूल राष्ट्रीयता बनाए रखने का विकल्प चुनने वाले एन्क्लेव के किसी निवासी की यात्रा एवं इंट्री को सुगम बनाने के लिए इंट्री पास या कोई अन्य दस्तावेज जारी करने के लिए अपेक्षित फोटोग्राफ सहित डाटा का संग्रहण;

III. संयुक्त दौरे में प्रतिनिधियों की इंट्री, प्रवास एवं सुरक्षित कामकाज तथा शिविर स्थापित करने के कार्य को दोनों सरकारों द्वारा सुगम बनाया जाएगा;

IV. दोनों सरकारें यात्रा दस्तावेजों का प्रावधान सहित यथास्थिति भारत या बंगलादेश की मुख्य भूमि में उनके निजी सामानों एवं चल संपत्ति के साथ एन्क्लेव के निवासियों के क्रमबद्ध, सुरक्षित एवं निरापद आवाजाही को सुगम बनाएंगी;

V. जो निवासी यथास्थिति भारत या बंगलादेश की मुख्य भूमि में किसी एन्क्लेव से जाने के विकल्प को चुनते हैं उनकी यात्रा की व्यवस्था परस्पर सहमति के अनुसार सहयोग के माध्यम से संबंधित सरकारों द्वारा की जाएगी तथा यह 30 नवंबर 2015 तक होगी। इंट्री / एग्जिट प्वाइंट भारत – बंगलादेश सीमा पर हल्दीबारी, बोरीमारी और बंगला बांध होंगे;

VI. दोनों सरकारें वास्तविक स्थानांतरण की तिथि तक एन्क्लेव के निवासियों के भू अभिलेखों, जहां उपलब्ध हों, तथा अन्य अचल संपत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा एवं अखंडता का सुनिश्चय करेंगी, जब उक्त एन्क्लेव दूसरे देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार में शामिल हो जाएंगे तथा अधिक से अधिक 30 नवंबर, 2015 तक दोनों सरकारों के संगत नामोदिष्ट जिला प्रशासनों के माध्यम से अभिलेखों का आदान प्रदान किया जाएगा।

(II) प्रतिकूल कब्जा

VII. जहां तक 2011 के प्रोटोकाल के तहत शामिल प्रतिकूल कब्जा का संबंध है, भारत और बंगलादेश 2011 के प्रोटोकाल के अनुच्छेद 3 में प्रावधान के अनुसार निर्धारित तिथि को भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अंतरण को पूरा करने के लिए तैयार किए गए अंतरिम स्ट्रिप मैप को प्लेनीपोटेंशरी स्तर पर मुद्रित, हस्ताक्षरित करेंगे और उसका आदान प्रदान करेंगे। अंतरिम स्ट्रिप मैप के अनुसार सीमा के निर्धारण का कार्य 30 जून 2016 तक दोनों सरकारों के संबंधित सर्वेक्षण विभागों द्वारा पूरा किया जाएगा।

(III) असीमांकित सीमा

VIII. भारत और बंगलादेश निर्धारित तिथि तक 2011 के प्रोटोकाल के अनुच्छेद 2 में प्रावधान के अनुसार तैयार किए गए असीमांकित क्षेत्रों के अंतरिम स्ट्रिप मैप को प्लेनीपोटेंशियरी स्तर पर मुद्रित, हस्ताक्षरित करेंगे और आदान प्रदान करेंगे। इन अंतरिम स्ट्रिप मैपों के आधार पर जमीनी स्तर पर सीमांकन का कार्य 30 जून 2016 तक पूरा किया जाएगा।

(IV) अचल संपत्तियों का स्वामित्व एवं अंतरण

IX. एन्क्लेव के जो निवासी यथास्थिति भारत या बंगलादेश की मुख्य भूमि में किसी एन्क्लेव से जाने का विकल्प चुनते हैं वे निर्धारित तिथि से पहले स्वयं द्वारा धारित अचल संपत्ति के अभिलेखों तथा विनिर्देशनों का ब्यौरा संगत जिला प्रशासनों को सूचित करेंगे। संबंधित जिला प्रशासन उनके प्रस्थान करने से पूर्व इन अभिलेखों को सर्वाधिकार क्षेत्र में रखेंगे ताकि ऐसी संपत्ति का दुरुपयोग न हो और संपत्ति का स्वामी उसे बेचने में समर्थ हो सके। दोनों सरकारें ऊपर उल्लिखित अचल संपत्तियों की बिक्री से हुई आय को भेजने में उपयुक्त ढंग से सुगमता प्रदान करेंगी।

2. भारत – बंगलादेश संयुक्त सीमा कार्यसमूह (जे बी डब्ल्यू जी) का विद्यमान तंत्र इस संबंध में सभी और ब्यौरों को अंतिम रूप देगा। अंतरण के बाद अगले 5 वर्षों के लिए जून 2020 तक उत्पन्न होने वाली किसी समस्या को दूर करने के लिए इसी तंत्र का प्रयोग किया जाएगा। ऊपर पैरा 1 (9) में अचल संपत्ति की बिक्री को सुगम बनाने तथा ऐसी बिक्री से हुई आय को भेजने के लिए तौर तरीकों से संबंधित मुद्दों पर जल्दी से जल्दी जे बी डब्ल्यू जी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

3. महामहिम, मुझे यह भी प्रस्ताव करने का सम्मान प्राप्त हुआ है कि यह पत्र और इस पर आपका उत्तर, जिसमें इस बात की पुष्टि होगी कि उपर्युक्त हमारे बीच सहमति को सही ढंग से प्रतिपादित करता है, हमारी दोनों सरकारों के बीच करार होंगे।

हस्ता/-

(डा. एस जयशंकर)

महामहिम श्री मोहम्मद शाहिदुल हक,
विदेश सचिव,
बंगलादेश जनवादी गणराज्य की सरकार,
ढाका

बंगलादेश के विदेश सचिव से पत्र :

बंगलादेश जनवादी गणराज्य की सरकार, ढाका

विदेश सचिव

6 जून, 2015

महामहिम,

भारत और बंगलादेश के बीच भूमि सीमा के सीमांकन तथा संबंधित मामलों के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और बंगलादेश जनवादी गणराज्य सरकार के बीच करार, 1974 और उक्त करार के 2011 के प्रोटोकाल को लागू करने के लिए 6 जून 2015 को हमारी दोनों सरकारों के बीच पुष्टि के लिए लिखतों के आदान प्रदान के अनुसरण में मुझे उक्त प्रोटोकाल एवं करार को लागू करने के लिए निम्नलिखित परवर्ती कदमों का प्रस्ताव करने का सम्मान प्राप्त हुआ है:

(I) एन्क्लेव

I. भारत और बंगलादेश इस बात पर सहमत हैं कि बंगलादेश में भारतीय एन्क्लेव तथा भारत में बंगलादेशी एन्क्लेव, जिनका 1974 के करार और 2011 के प्रोटोकाल के अनुसरण में आदान प्रदान हुआ है, 31 जुलाई 2015 की आधी रात से एक दूसरे को हस्तांतरित समझे जाएंगे। इसे "निर्धारित तिथि" के रूप में कहा जाएगा।

II. निर्धारित तिथि से पूर्व दोनों सरकारों के प्रतिनिधि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए एन्क्लेवों का संयुक्त रूप से दौरा करेंगे :(क) 1974 के करार और 2011 के प्रोटोकाल में निहित प्रावधानों के बारे में एन्क्लेव के निवासियों को सूचित करना जिसमें राष्ट्रीयता एवं नागरिकता से संबंधित उनके अधिकार शामिल हैं;

(ख) ऐसे निवासियों की पहचान करना जो उस राष्ट्रीयता को बनाए रखना चाहते हैं जिसे उन्होंने टेरिटरी के वास्तविक हस्तांतरण से पूर्व धारण किया है। यह अधिकार केवल उन्हीं निवासियों को उपलब्ध है जो एन्क्लेव की आबादी की संयुक्त रूप से गणना में शामिल हैं जिसे जुलाई 2011 में दोनों सरकारों द्वारा अंतिम रूप दिया गया था और विनिमय किया गया था तथा उन बच्चों को उपलब्ध है जिनका जन्म जुलाई 2011 से आज तक ऐसे निवासियों के यहां पैदा हुए हैं;

(ग) अपनी मूल राष्ट्रीयता बनाए रखने का विकल्प चुनने वाले एन्क्लेव के किसी निवासी की यात्रा एवं इंट्री को सुगम बनाने के लिए इंट्री पास या कोई अन्य दस्तावेज जारी करने के लिए अपेक्षित फोटोग्राफ सहित डाटा का संग्रहण;

III. संयुक्त दौरे में प्रतिनिधियों की इंट्री, प्रवास एवं सुरक्षित कामकाज तथा शिविर स्थापित करने के कार्य को दोनों सरकारों द्वारा सुगम बनाया जाएगा;

IV. दोनों सरकारें यात्रा दस्तावेजों का प्रावधान सहित यथास्थिति भारत या बंगलादेश की मुख्य भूमि में उनके निजी सामानों एवं चल संपत्ति के साथ एन्क्लेव

के निवासियों के क्रमबद्ध, सुरक्षित एवं निरापद आवाजाही को सुगम बनाएंगी;

V. जो निवासी यथास्थिति भारत या बंगलादेश की मुख्य भूमि में किसी एन्क्लेव से जाने के विकल्प को चुनते हैं उनकी यात्रा की व्यवस्था परस्पर सहमति के अनुसार सहयोग के माध्यम से संबंधित सरकारों द्वारा की जाएगी तथा यह 30 नवंबर 2015 तक होगी। इंट्री / एग्जिट प्वाइंट भारत – बंगलादेश सीमा पर हल्दीबारी, बोरीमारी और बंगला बांध होंगे;

VI. दोनों सरकारें वास्तविक स्थानांतरण की तिथि तक एन्क्लेव के निवासियों के भू अभिलेखों, जहां उपलब्ध हों, तथा अन्य अचल संपत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा एवं अखंडता का सुनिश्चय करेंगी, जब उक्त एन्क्लेव दूसरे देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार में शामिल हो जाएंगे तथा अधिक से अधिक 30 नवंबर, 2015 तक दोनों सरकारों के संगत नामोदिष्ट जिला प्रशासनों के माध्यम से अभिलेखों का आदान प्रदान किया जाएगा।

(II) प्रतिकूल कब्जा

VII. जहां तक 2011 के प्रोटोकाल के तहत शामिल प्रतिकूल कब्जा का संबंध है, भारत और बंगलादेश 2011 के प्रोटोकाल के अनुच्छेद 3 में प्रावधान के अनुसार निर्धारित तिथि को भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अंतरण को पूरा करने के लिए तैयार किए गए अंतरिम स्ट्रिप मैप को प्लेनीपोटेंशरी स्तर पर मुद्रित, हस्ताक्षरित करेंगे और उसका आदान प्रदान करेंगे। अंतरिम स्ट्रिप मैप के अनुसार सीमा के निर्धारण का कार्य 30 जून 2016 तक दोनों सरकारों के संबंधित सर्वेक्षण विभागों द्वारा पूरा किया जाएगा।

(III) असीमांकित सीमा

VIII. भारत और बंगलादेश निर्धारित तिथि तक 2011 के प्रोटोकाल के अनुच्छेद 2 में प्रावधान के अनुसार तैयार किए गए असीमांकित क्षेत्रों के अंतरिम स्ट्रिप मैप को प्लेनीपोटेंशियरी स्तर पर मुद्रित, हस्ताक्षरित करेंगे और आदान प्रदान करेंगे। इन अंतरिम स्ट्रिप मैपों के आधार पर जमीनी स्तर पर सीमांकन का कार्य 30 जून 2016 तक पूरा किया जाएगा।

(IV) अचल संपत्तियों का स्वामित्व एवं अंतरण

IX. एन्क्लेव के जो निवासी यथास्थिति भारत या बंगलादेश की मुख्य भूमि में किसी एन्क्लेव से जाने का विकल्प चुनते हैं वे निर्धारित तिथि से पहले स्वयं द्वारा धारित अचल संपत्ति के अभिलेखों तथा विनिर्देशनों का ब्यौरा संगत जिला प्रशासनों को सूचित करेंगे। संबधित जिला प्रशासन उनके प्रस्थान करने से पूर्व इन अभिलेखों को सर्वाधिकार क्षेत्र में रखेंगे ताकि ऐसी संपत्ति का दुरुपयोग न हो और संपत्ति का स्वामी उसे बेचने में समर्थ हो सके। दोनों सरकारें ऊपर उल्लिखित अचल संपत्तियों की बिक्री से हुई आय को भेजने में उपयुक्त ढंग से सुगमता प्रदान करेंगी।

2. भारत – बंगलादेश संयुक्त सीमा कार्यसमूह (जे बी डब्ल्यू जी) का विद्यमान तंत्र इस संबंध में सभी और ब्यौरों को अंतिम रूप देगा। अंतरण के बाद अगले 5 वर्षों के लिए जून 2020 तक उत्पन्न होने वाली किसी समस्या को दूर

करने के लिए इसी तंत्र का प्रयोग किया जाएगा। ऊपर पैरा 1 (9) में अचल संपत्ति की बिक्री को सुगम बनाने तथा ऐसी बिक्री से हुई आय को भेजने के लिए तौर तरीकों से संबंधित मुद्दों पर जल्दी से जल्दी जे बी डब्ल्यू जी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

3. महामहिम, मुझे यह पुष्टि करने का सम्मान प्राप्त हुआ है कि 1974 के भूमि सीमा करार और 2011 के इसके प्रोटोकाल को लागू करने के लिए तौर तरीकों पर हमारे बीच उपर्युक्त सहमति हमारी दोनों सरकारों के बीच करार होगी।

4. महामहिम कृपया सर्वोच्च स्तर पर मेरी ओर से ध्यान देने के आश्वासन को स्वीकार करें।

हस्ता/-

(मोहम्मद शाहिदुल हक)

महामहिम डा. एस. जयशंकर,
विदेश सचिव,
विदेश मंत्रालय,
भारत गणराज्य की सरकार,
नई दिल्ली